कोर्ट (अदालती) कार्रवाई– आपके लिए जानकारी

Hindi

होम ऑफिस कम्यूनिकेशन डाइरेक्टरेट द्वारा प्रकाशित मार्च 2004
Home Office Communication Directorate

कन्टेन्टस (विषयसूची)

आप पर एक अपराध करने का आरोप लगाया गया है, और अब आप को कोर्ट में जाना है। यह पुस्तिका (leaflet) आप को इसके बाद क्या होने वाला है उसकी तैयारी मे आप की सहायता करेगी। यह निम्न विषयों पर जानकारी देती है।

01 आपकी वर्तमान स्थिति (position)

02 वकील की तलाश

03 अगर आप कोर्ट नहीं जा पाते है तो आप के साथ क्या होगा

04 अगर आप कोर्ट नहीं जा पाते हैं तो आपको क्या करना चाहिये

05 कोर्ट जाने से पहले आपको क्या करना चाहिये

06 कोर्ट में पहुंचना

07 विभिन्न प्रकार के कोर्ट और कौन क्या है

08 कोर्ट की प्रक्रिया (process)

09 अधिक जानकारी

10 मुलाकात डायरी

11 सम्पर्क विवरण

पिछले कवर (back cover) पर दिये गये फोल्डर भाग में आप को स्थानीय जानकारी और ऐसी अन्य जानकारी भी मिलेगी जो आप के लिए विशेष हो।

01 आपकी वर्तमान स्थिति (position)

- पुलिस ने आप पर किसी अपराध का आरोप **(charged)** लगाया है और आप को उन्होंने एक चार्जशीट **(chargesheet)** दी होगी जिसमें उन अपराधों का विवरण होगा जिनका आरोप आप पर लगाया गया है ।
- आप को शायद पुलिस की बेल (जमानत) मिल गयी हो या, अगर बेल (जमानत) ना दी गयी हो, तो कोर्ट मे पहली पेशी तक आपको हिरासत में रखा जायेगा।
- आपके जमानत-पत्र **(bail sheet)** में, कोर्ट मे आने का स्थान, दिनांक और समय दिया होगा। संभव है, आगे होने वाली कई पेशियों में से यह आपकी पहली पेशी हो और यह आवश्यक नही है कि हर बार कोर्ट की उसी इमारत **(building)** में हो।
- आपको किसी वकील **(solicitor)** (जिसे लॉयर भी कहते हैं) से बात करने का अधिकार है, जो आपको इस सारी प्रक्रिया के दौरान सलाह देंगे।

02 वकील की तलाश

एक वकील आपके लिए बेहद मददगार हो सकता है क्योंकि:

- वह यह समझने में आपकी सहायता कर सकता है कि क्या हो रहा है और आप पर कौन से आरोप लगाए गये है;
- वह आपको यह बता सकेगा कि कोर्ट में क्या होने वाला है, और आपको क्या करना चाहिये;
- वह आपको उन सभी कानूनी शब्दों का मतलब बता पायेगा जो समझने में मुशकिल हों;
- आप अपना अपराध स्वीकार करें या ना करें इसके बारे में निर्णय लेने में वह आपकी सहायता कर सकता है;
- वह आपकी तरफ से वकालत और आपका बचाव कर सकता है (मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश) कोर्ट के मामलों में, आपका सॉलिसिटर आम तौर पर आपका प्रतिनिधित्व करेगा। क्राउन-कोर्ट के मामलों में, आपका सॉलिसिटर (solicitor) आप के प्रतिनिधित्व के लिए एक अधिवक्ता (advocate) का पता लगायेगा। अधिवक्ता (advocates) कोर्ट के खास तौर पर प्रशिक्षित (trained) वकील (lawer) होते हैं, जो या तो सॉलिसिटर (solicitor) होते है या बैरिस्टर (barristers) होते हैं।);
- वह आपको प्रभावित करने वाली जमानत की शर्तों या कोर्ट के निर्णयों के बारे में आपको समझा सकता है;
- वह आपको इस संबंध में सलाह दे सकता है कि आपको सॅलिसिटर की सेवा निशुल्क मिल सकती है या नहीं, और फन्डिंग (अनुदान) के लिये आवेदन करने में आपकी सहायता कर सकता है ।

हो सकता है कि आप की जमानत की एक शर्त यह हो हो कि आप को किसी सॉलिसिटर से मिलना है, और अगर एसा है, और यदि आप किसी सॉलिसिटर से नहीं मिलते हैं, तो आप को गिरफ्तार किया जा सकता है और आपकी जमानत को वापस लिया जा सकता है।

सॉलिसिटर को कैसे ढूंढें

जब आप को गिरफ्तार किया गया था तब पुलिस ने आप को किसी कानूनी प्रतिनिधि (legal representative) या किसी डयूटी सॉलिसिटर (duty solicitor) का विवरण दिया होगा। यह सेवा मुफ्त और स्वतंत्र है - यानी यह व्यक्ति पुलिस से संबद्धति नही है। वे आप से फोन पर बात कर सकेगें या जब आप पुलिस स्टेशन में होगे तब वे आपसे आमने सामने बात कर सकेगें, और आमतौर पर कोर्ट की पूरी प्रक्रिया के दौरान आप का प्रतिनिधित्व कर सकेगें।

या, आप अपना कोई सॉलिसिटर (वकील) ढूंढ सकते हैं। आप के दोस्त या परिवार के सदस्य आप को किसी सॉलिसिटर (वकील) का नाम बता सकते हैं जिसकी सेवाओं का इस्तेमाल वे कर चुके हैं,, या आप अपने क्षेत्र के सॉलिसिटरों की सूची अपने स्थानीय सिटिज़न अडवाइस ब्यूरो' (local citizen advise bureau) या लीगल सर्विस कमीशन (Legal Services Commission) से 0845 608 1122 पर और www.justask.org.uk से प्राप्त कर सकते हैं ।

अगर आपने कोर्ट की पहली पेशी से पहले सॉलिसिटर (वकील) से बात नही की है, तो आप कोर्ट के किसी डयूटी सॅलिसिटर (वकील) से बात कर सकते हैं। वे आप कोर्ट में आप का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, या जहां उचित हो वहां आप को सलाह और सहायता दे सकते हैं।

क्या आपको उसके शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा ?

हो सकता है कि आपको अपने सॉलिसिटर (वकील) की सेवाओं की कीमत देनी पडे या हो सकता है आप किसी के द्धारा इसका भुगतान करवा सकें। आप मुफ्त सलाह और प्रतिनिधित्व के लिए आवेदन दे सकते हैं या नहीं, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए "पुलिस स्टेशन व कोर्ट में क्रिमिनल डिफेन्स सर्विस" (criminal defence service) नामक परचा पढें जो शायद इस परचे के फोल्डर भाग मे हो या अपने सॅलिसिटर (वकील) पूछें।

03 अगर आप कोर्ट नहीं जा पाते है तो आप के साथ क्या होगा

> **!** **आप चाहें जो करें, लेकिन कोर्ट में अवश्य हाज़िर हों और अगर आप को लगता है कि आप को यह करने मे कोई दिक्कत है, तो अपने सॅलिसिटर (वकील) को या कोर्ट को इसके बारे में बताएं।**

कोर्ट यह निर्णय करता है कि आप पर लगाए गए अभियोग के आप दोषी है या नहीं। यह महत्वपूर्ण है कि जब भी आपसे कोर्ट में आने के लिए कहा जाए तब आप वहां समय पर पहुंचें।

कोर्ट में न पहुंचना (बिना किसी उचित कारण के) एक दण्डनीय अपराध है जिसके लिए 12 महीने तक की सज़ा दी जा सकती है।

कोर्ट में न पहुंचने से सबका समय खराब होता है–कोर्ट का, पुलिस का, गवाहों का, पीड़ितों का और वकीलों का– और इसलिये कोर्ट इसे गम्भीरता से लेता है।

अगर आप कोर्ट में पहुंच नहीं पाते हैं और इसके लिए कोर्ट को, सुनवाई से पहले कोई उचित कारण नहीं देते हैं, तब निम्न होने की सम्भावना है।

- आपकी **तुरन्त गिरफ्तारी** के लिए एक वारंट (warrant) जारी किया जाएगा और आपको कोर्ट में वापस लाने के लिए हिरासत में रखा जाएगा।
- आपके खिलाफ लगाए गए अपराध पर यह निर्भर करते हुए, आपके केस की **सुनवाई आप की गैरहाज़िरी में की जा सकती है,** जिसका मतलब यह होगा कि आपको अपने आप को बचाने का अवसर नहीं मिलेगा।
- आप पर एक **अतिरिक्त अपराध "फेलिंग टू अपियर (यानी आप पहुचने में असफल रहे)"** का आरोप लगाया जाएगा। क्राउन–कोर्ट मे **इस अपराध का अधिकतम दण्ड 12 महीने की कैद है** या मैजिस्ट्रेट कोर्ट में यह तीन महीने की कैद है, अगर आप मूल अभियोग के दोषी नहीं हों तब भी। अगर आप दोनो में अपराधी पाये जाते है, तब आप को और भी अधिक कडा दण्ड मिल सकता है।
- "फेलिंग टू अपियर (यानी आप पहुचने में असफल रहे)" की सजा आपके **क्रिमिनल रिकार्ड** मे दर्ज की जायेगी और भविष्य मे आपको ज़मानत (बेल) देने संबंधी निर्णयों को यह तथ्य प्रभावित करेगा।
- हो सकता है कि आप पर **मुकदमा चलने तक आप को कैद मे वापस डाल दिया जाए।**
- हो सकता है कि आप **सज़ा मे होने वाली कमी (discount) से वंचित रह जाएं।** अगर आप अपना अपराध स्वीकार करना चाहते है और यह आप शुरू की अवस्था मे कर देते हैं, तो संभव है कि आपको ज़्यादा सख्त सजा न मिले। लेकिन अगर आप अपने बचाव के लिये कोर्ट पहुंचने में असफल रहते हैं तो यह सुविधा शायद आपको न दी जाये।

यहां तक कि अगर आप कोर्ट गये हैं लेकिन किसी कारण से आप वहा से चले गये हैं, और जब आप का केस आता है तो आप हाज़िर नही हो पाते हैं, तब भी कोर्ट यही कार्यवाही करेगा।

04 अगर आप कोर्ट नहीं जा पाते हैं तो आपको क्या करना चाहिये

- अगर कोई आपात स्थिति (emergency) पैदा होती है, तो आप को चाहिये कि जिस कोर्ट मे आपको हाज़िर होना है उसे अवश्य सुचित करें (और अगर आपका कोई सॉलिसिटर (वकील) है तो उसे भी। यह काम जितनी जल्दी हो सके करें, हो सके तो सुनवाई की तारीख़ से पहले।
- अगर आप कोर्ट मेडिकल (डाक्टरी) कारणों से नही जा सकते हैं, तब आपको अपने जी.पी. (GP) से या अस्पताल के डाक्टर से एक मेडिकल सर्टिफिकेट (medical certificate) लेना होगा, जिसमें यह लिखा हो कि आप कोर्ट जाने मे असमर्थ थे।
- कोर्ट आप के द्धारा कोर्ट ना पहुचने के लिए दिये गये कारणों पर गौर करेगा। आपको चाहिये कि आप कोर्ट को जितनी अधिक जानकारी दें सके उतनी जानकारी दें जिससे आप यह साबित कर सकें कि आप का कोर्ट पहुंचना सम्भव नहीं था।
- **अगर आप कोर्ट नही जा सकते है, तो आप को चाहिये कि आप कोर्ट या पुलिस स्टेशन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंचें। आप के पास कोर्ट न जाने के उचित कारण हो सकते हैं, लेकिन यदि आप जितनी जल्दी हो सके वहां नहीं पहुंचते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी यह एक अपराध ही है।**

05 कोर्ट जाने से पहले आप को क्या करना चाहिये

- यह सुनिश्चित करें कि आप को यह पता है कि आपको किस कोर्ट में जाना है। हो सकता है कि यह वह कोर्ट-रूम न हो जहाँ आप पहले गये थे।
- यह सुनिश्चित करें कि आपको यह कोर्ट जाने का रास्ता पता हो। आप कोर्ट को फोन कर सकते हैं, जिसका नंबर आपकी स्थानीय फोन बुक मे दिया (listed) होगा, और वे आपको पब्लिक-ट्रान्सपोर्ट के बारे में दिशा-ज्ञान (directions) और सूचना दे सकेगें जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। आपका सॉलिसिटर भी आपको दिशा-ज्ञान (directions) दे सकते हैं।
- वहा पर समय से काफी पहले पहुंचें। अगर आप नही जानते कि पहुंचने में कितना समय लगेगा तो पहले प्रेक्टिस-रन' (अभ्यास के लिए पहले जा कर देखें) कर लें। अगर आप बस या ट्रेन से जा रहें हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि आप को टाईम-टेबल (समय आदि) और कहां पर बस या ट्रेन बदलना है इसके बारे में पता है, और जाने से पहले आप यह भी सुनिश्चित कर लें कि आपके पास टिकट (tickets) खरीदने के लिये पर्याप्त धन है।
- क्या हो रहा है और आपको क्या उम्मीद करनी चाहिये यह समझ पाने के लिये किसी सॉलिसिटर (वकील) से बात करें।

06 कोर्ट में पहुंचना

- कोर्ट में आपको स्पष्ट निशान मिलेगें जिनकी मदद से आप वहां के रास्ते ढूंढ सकते है। किसी को बताए कि आप पहुंच गये हैं। स्वागत अधिकारी (receptionist) या अशर (वह व्यक्ति जो देखता है कि लोग आ चुके हैं या नही, और उन्हें दिखाता है कि उन्हें कहां जाना है) को अपना नाम बताएं। कोर्ट में मामले आरोपी (जिन्हें डिफेन्डेन्ट भी कहते है) के सर-नेम (sur name) के अनुसार 'आर वर्सस डिफेन्डेन्ट' (R v Defendent) 'फॉरमेट' में सूचीबद्ध किये जाते हैं। आर (R) का मतलब रीजिना (Regina) होता है, जिसका मतलब यह है कि क्राउन आप पर मुकदमा चला रहा है।
- स्वागत-कर्ता या अशर (receptionist or usher) आप को यह बतायेगा कि कोर्ट के किस कमरे में आपके केस की सुनवाई होगी और आप को कहां पर प्रतीक्षा करनी चाहिये। वह आप को यह भी बतायेगा कि आपके केस की सुनवाई कब होगी।
- अगर आपका प्रतिनिधित्व कोई सॉलिसिटर (वकील) कर रहा है, तो आप को चाहिये कि आप उनसे कोर्ट में मिलें। वे आपके केस के बारे में अन्तिम सलाह दे सकेगें। कुछ कोर्टों में अलग से प्राइवेट क्षेत्र होते हैं जहां आप अपने सॉलिसिटर (वकील) से बात कर सकते हैं।

  अगर आपका कोई सॉलिसिटर (वकील) नही है, तो आप कोर्ट में उपस्थित डयूटी-सॅलिसिटर (duty-solicitor) से बात कर सकते हैं।

- अगर आपका केस शुरू होने में कुछ समय है, तो आप प्रतीक्षा क्षेत्र (waiting area) मे बैठ सकते है या कोर्ट-रूम की पब्लिक दीर्घा (public gallary) में बैठ कर अन्य मुकदमे देख सकते हैं। अगर आप यह करते हैं तब आप को चाहिये कि आप अशर (usher) को यह बता कर जाएं कि आप कहां गये हैं।
- आप गवाहों को देख सकते हैं कि जिनको आप के समर्थन में या आप के विरूद्व बुलाया गया है। आप और आपके परिवारजनों या दोस्तों को चाहिये कि वे सरकारी गवाह से सम्पर्क न करें, क्योंकि इसे इन्टिमिडेशन (आप उन पर दबाव डाल रहें हैं, उन्हें डरा रहें हैं या उन्हें प्रभावित कर रहें हैं कि वे कोर्ट मे क्या कहें) माना जा सकता है। गवाहों का इन्टिमिडेशन (intimidation) एक बहुत गम्भीर अपराध है और यह आपके मुकद्मे को प्रभावित कर सकता है।
- आपको कोर्ट से बाहर नहीं जाना चाहिये क्योंकि यह एक अपराध हो सकता है, लेकिन अगर किसी कारण से आपको जाना पडता है, आपको अशर (usher) को अवश्य बताना चाहिये। आपको चाहिये कि आप यह बताये कि आप कहाँ जा रहे है, और आपसे किस प्रकार सम्पर्क किया जा सकता है।

07 विभिन्न प्रकार के कोर्ट और कौन क्या है

आपको तीन में से किसी एक प्रकार के कोर्ट में बुलाया जा सकता है।

- **मजिस्ट्रेट्स कोर्ट (Magistrate court)**
- **क्राउन कोर्ट (Crown Court)**
- **यूथ कोर्ट (जो कि मजिस्ट्रेटस कोर्ट (Magistrate court) में किया जाता है)**

कोर्ट में कौन है और यहां किस प्रकार की व्यवस्था होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की सुनवाई है। पहली सुनवाई पर कोर्ट में केवल मजिस्ट्रेटस, आप, और बचाव तथा सरकारी पक्ष के वकील ही होते हैं। आगर आप का केस मुकदमे के लिए जाता है संभव है कि जूरी और गवाह भी मौजूद हों।

कोर्ट में एक कोर्ट क्लर्क (लिपिक) या कानूनी सलाहकार भी मौजूद होगा। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि वे सभी व्यक्ति जिन्हें कोर्ट में होना चाहिये वे मौजूद हैं, और जो होना चाहिये वह समय से हो और उचित क्रम से हो। हो सकता हैं कि वे रिकार्ड्स (records) भी देखें कि अन्य मुकदमों में क्या हुआ है और मजिस्ट्रेट के कोर्टस में, कानूनी मुद्दों पर सलाह दें।

कोर्ट में जिन अन्य व्यक्तियों को आप देख सकते हैं उन में शामिल हैं पुलिस अधिकारी, प्रोबेशन अधिकारी, जेल अधिकारी और पत्रकार। यूथ कोर्टस (youth courts) में, यूथ ऑफेन्डिंग टीमस (Offending Teams) के सदस्य भी मौजूद हो सकते हैं।

मैजिस्ट्रेट्स और क्राऊन कोर्टस आम तौर पर जनता और केस में शामिल लोगों के मित्रों और सम्बन्धियों के लिए खुले रहते हैं, और प्राय: उनमें जनता के बैठने के लिये एक अलग स्थान होता है। यूथ कोर्ट में जनता के सदस्य सिर्फ तब ही मौजूद होते है जब कोर्ट अधिकारी उन्हें अनुमति देते हैं।

मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट (एग्स्टिरट्रे' च्आुरट)

ज्यादातर अपराधिक मुकदमे जो कोर्ट में आते है वे मैजिस्ट्रेट कोर्ट मे चलाए जाते हैं। हो सकता है वहां एक, दो या तीन मजिस्ट्रेट हो (इन्हें कभी-कभी जस्टिस ऑफ पीस या जे.पी स (justice of the peace or JPs) कहते हैं)। यही लोग मुकदमे को सुनते हैं और फिर यह निर्णय लेते हैं कि आप अपराधी है या नहीं।

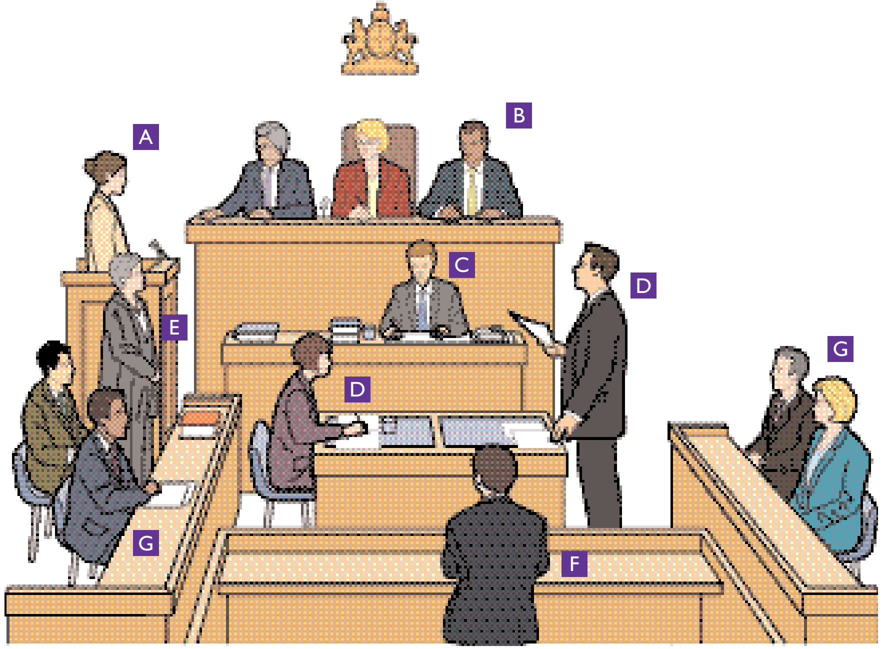

मुख्य या प्रधान **A** गवाह **B** मैजिस्ट्रेट **C** कोर्ट का क्लर्क या लिपिक **D** बचाव पक्ष का वकील और सरकारी वकील **E** कोर्ट अशर **F** प्रतिवादी (Defendant) **G** अन्य

क्राउन कोर्ट

अगर आप काफी गम्भीर अपराध के दोषी हैं, या आप अपना मुकदमा जूरी के सामने चलाना चाहते हैं, या आपको सजा दी जा चुकी है, तो आप अपना केस क्राउन कोर्ट में सुनवा सकते हैं। क्राउन कोर्ट मे मुकदमा एक जज और जूरी के सामने सुना जाता है।

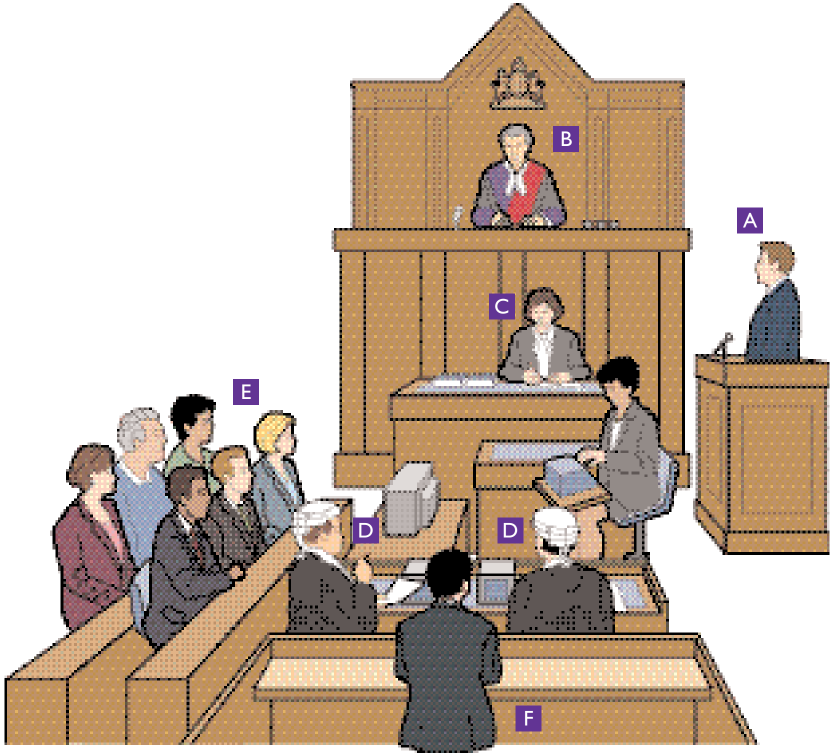

मुख्य या प्रधान
A गवाह B जज C कोर्ट का क्लर्क या लिपिक
D सरकारी और बचाव पक्ष के वकील
E जूरी के सदस्य F प्रतिवादी (Defendant)

यूथ कोर्ट (इआुटह छआुरट)

वे मुकदमे जहां डिफेन्डेन्ट या अभियुवत की उम्र 10 से 17 साल के बीच की होती है, उन्हें मुख्य रूप से यूथ कोर्ट में खास तौर पर प्रशिक्षित मजिस्ट्रेटों के सामने और बिना जूरी के चलाया जाता है।

आप यूथ कोर्ट और युवाओं से सम्बन्धित अन्य मुद्दों के बारे में अधिक जानकारी **www.rizer.co.uk** से ले सकते हैं।

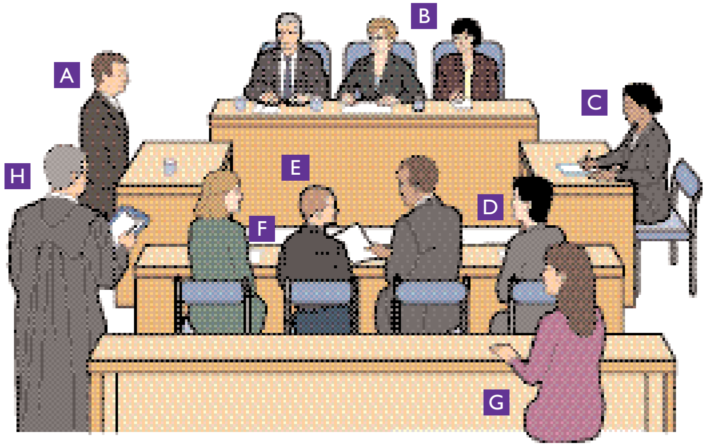

मुख्य या प्रधान
A गवाह B मैजिस्ट्रेट्स C कोर्ट के क्लर्क (लिपिक)
D बचाव और सरकारी पक्ष के वकील E डिफेन्डेन्ट (Defendant)
F माता-पिता (Parents)
G यूथ ऑफेन्डिंग टीम के कार्यकर्ता (Youth Offending Team Worker)
H अशर (Usher)

08 कोर्ट की प्रक्रिया (process)

कोर्ट में आपको डिफेन्डेन्ट (defendent) कहा जायेगा। यह अभियुक्त का ही दूसरा नाम है, और इसका मतलब होता है कि आप वहां पर अपने खिलाफ लगाए गए अभियोगों (charges) के बचाव के लिए माजूद हैं। आपके सॉलिसिटर (solicitor) को बचाव पक्ष का सॅलिसिटर (defence solicitor) कहा जायेगा।

दूसरा हिस्सा होता है प्रोसिक्यूशन (अभियोग पक्ष)। आमतौर पर, 'क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस' (Crown Prosecution Service) अपराधिक प्रोसिक्यूशन (अभियोग पक्ष) को देखती हैं, जो पुलिस से आज़ाद है।

कोर्ट प्रक्रिया में कई चरण होते हैं।

प्ली भरना (Entering a plea)

कोर्ट में आपकी पहली पेशी पर, आमतौर पर आप पर लगाए गये अपराध या अपराधों के आरोपों के सम्बन्ध में आप से प्ली भरने के लिए कहा जायेगा। यह प्ली अपराध स्वीकार करने या स्वयं को निर्दोष बताने की हो सकती है।

अगर आप की प्ली अपराध स्वीकृति की है, तो कोर्ट अपनी सजा सुनाएगा। (सेन्टेन्सिंग देखिये)

अगर आप अपना अपराध स्वीकार नहीं करते हैं, उस अवस्था में केस उस दिन और आगे नही बढ़ेगा, और आपकी अगली सुनवाई के लिए एक तारीख पक्की की जाएगी। कोर्ट इस बात का भी निर्णय लेगा कि आप मुकदमे की अवधि के दौरान आप को जमानत (बेल) दी जानी चाहिये या नहीं।

अगर आपने अपराध किया है तो आप इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी वक्त अपना अपराध कबूल कर सकते हैं,और जितनी जल्दी आप यह करते हैं, इस बात की उम्मीद है कि आप की सजा में कमी होगी, और जितनी जल्द प्ली होगी, सजा में उतनी ही कमी होगी।

आपके वकील आपको सलाह दे सकते हैं जिससे आपको निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

मुकदमा (Trial)

अगर आप का केस मुकदमे के लिए जाता है, तो प्रोसिक्यूशन (अभियोग पक्ष) आपके विरुद्ध सबूत प्रस्तुत करेंगे। आप या आपका वकील उनके सबूतो को चुनौती दे सकते हैं, और अपने सबूत पेश कर सकते हैं।

प्रोसिक्यूशन (अभियोग पक्ष) को किसी भी 'उचित संदेह से परे' (beyond reasonable doubt) यह सिद्ध करना होगा कि आपने अपराध किया है।अगर वे एसा कर पाते हैं, तो आप को कसूरवार माना जाएगा, और अगर वे ऐसा नही कर पाते हैं, तो आप को बेकसूर माना जाएगा और आप को बरी कर दिया जाएगा।

मजिस्ट्रेट कोर्ट में, एक मजिस्ट्रेट या एक जिला जज इसका फैसला, प्रस्तुत किये गये सबूतो के आधार पर करते है।

क्राउन कोर्ट में, जूरी यह फैसला करती है। एक जूरी में 12 वयक्ति हो सकते हैं जो कि आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि आप जूरी के किसी भी सदस्य (jurors) को जानते है, तो आपको इसकी जानकारी कोर्ट को देनी चाहिये, और उस व्यक्ति से बैठने के लिए कहा जायेगा।

एक बार जूरी ने सारे सबूतो को सुन लिया, तो वे एक अकेले कमरे मे तब तक परामर्श करते है जब तक कि वे सब आपस मे सहमत ना हो जाएं, यदि वे सब आपस मे सहमत ना हो पाएं, तो जज बहुमत के आधार पर फैसला सुना सकता है लेकिन तभी जब जूरी के कम से कम 10 सदस्य (jurors) सहमत हों।

जूरी अपने सदस्यों में से किसी एक का चयन फोरमैन (foreman) के रूप में करती है और यह व्यक्ति कोर्ट को जूरी का फैसला सुनाता है। यह वरडिक्ट या निर्णय (verdict) होता है। वरडिक्ट या निर्णय (verdict) खुले कोर्ट में सुनाया जाता है ताकि सब उसे सुन सकें।

प्ली भरने से मुकदमे के खत्म होने तक कई सुनवाईयां हो सकती हैं, और यह महत्वपूर्ण होता है कि आप हर बार उपस्थित हों।

Sentencing सेन्टेन्सिंग या दंड

अगर आप का अपराध साबित हो जाये, तो आपको जेल हो सकती है, आप पर जुरमाना किया जा सकता है या कम्युनिटि सन्टेन्स (community sentence) दिया जा सकता है। यह तब हो सकता है जब आप अपना कसूर मानते हैं या दोषी पाये जाते हैं, या आपको सज़ा सुनाने के लिए बाद में बुलाया जा सकता है।

अगर आपके मुकदमे की सुनवाई मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई है, तो आपको सज़ा सुनाने के लिए क्राउन कोर्ट में भेजा जा सकता है।

कोर्ट आमतौर पर प्री-सन्टेन्स रिपोर्ट (pre-sentence report) के लिए कहती है जिससे उन्हें आपके लिए सबसे उचित सज़ा सुनाने मे सहायता मिले। इसमें लगभग तीन सप्ताह तक लग सकते हैं और यह एक 'प्रोबेशन ऑफिसर' के द्वारा किया जाता है जो आप से आपकी आवश्यकताओं को जानने के लिए मिलेगा। यह आप के अपने ही हित मे है कि आप इसके लिए अपना पूरा सहयोग दें।

आपका वकील आपको आपके विरुद्ध दिये जाने वाले फैसले या सज़ा के लिए अपील करने के संबंध में सलाह दे सकता है।

कोर्ट की प्रक्रिया आमतौर पर लम्बी और पेचीदा (complicated) होती है। इसे आप के लिए और इसमें शामिल है सभी लोगों के लिए आसान बनाने के लिए आप:

- **जितनी जल्दी हो सके सलाह के लिये किसी वकील से मिलें; और**
- **कोर्ट में अवश्य जायें।**

09 अधिक जानकारी

सॉलिसिटर (वकील) की तलाश

अपने क्षेत्र के वकीलों के बारे में जानने के लिए, आप:

- लीगल सर्विस कमीशन को 0845 608 1122 पर फोन कर सकते है;
- अपने लोकल सिटीज़न अडवाइस ब्यूरो (Citizens Advice Bureau) में जा सकते हैं।
- कम्यूनिटि लीगल सर्विस की डाइरेक्टरी में देखें या सॉलिसिटर और बैरिस्टरों की डाइरेक्टरी में देखें जो कि आपके स्थानीय पुस्तकाल्य में उपलब्ध होगी; या
- www.justask.org.uk पर देखें

युवाओं के लिए सूचना

आप क्रिमिनल जस्टिस से जुडे युवाओं के मुद्दों की ऑन-लाईन गाईड www.rizer.co.uk पर देख सकते हैं।

साधारण (General)

आपके सभी अधिकारों व ज़िम्मेढारियों की और अधिक ज़ानकारी के लिए, और क्रिमिनल जस्टिस प्रक्रिया से क्या उम्मीढ करनी चाहिये, इसकी जानकारी के लिए आप www.cjsonline.org.uk/citizen पर जा सकते हैं।

इसमें शामिल है कोर्ट मे एक काल्पनिक पेशी व साक्षात्कार से जेल जाने तक हर पहलू पर जानकारी।

यदि आपके पास इंटरनेट सुविधा नहीं है, तो आप स्थानीय पुस्तकालय या इंटरनेट कैफे में जा सकते हैं।

आप लीगल अडवाइस केन्द्र से या सिटिज़न अडवाइस ब्यूरो से भी सूचना के सकते हैं।

10 मुलाकात डायरी

मुलाकातें और कोर्ट में पेशियां

इस जगह का किसी वकील के साथ की तय मुलाकात (appointments) और कोर्ट मे पेशी ढर्ज करने के लिए इस्तेमाल करें।

ढिनांक और समय	विवरण

11 सम्पर्क विवरण

उपयोगी सम्पर्क विवरण

इस स्थान का उपयोग उन व्यवितयों के नाम और फोन नम्बर की सूची बानाने के लिए कीजिये जिनकी आवश्यकता आप को आपके केस के लिए पड सकती है।

नाम (Name)	सम्पर्क का विवरण (Contact details)
वकील (Solicitor)	
पुलिस स्टेशन (Police station)	
केस का पुलिस ऑफिसर (Police oficer in case)	
कोर्ट (Court)	